फर्द अहकाम

कार्यालय उपखण्ड अधिकारी मावली, जिला–उदयपुर

प्रार्थी : श्री छोटा मीना | **विपक्षी : राजस्थान राज्य**

किस्म मुकदमा – 131,133 भू.राजस्व अधिनियम | **पत्रावली संख्या : 152/24**

जीसीएमएस : 2024/565

क्रमांक	कार्यवाही विवरण

दिनांक : 08.01.2025

पत्रावली पेश हुई। अधिवक्ता उभय पक्षकारान उपस्थित। तहसीलदार घासा द्वारा रिपोर्ट पेश कर निवेदन किया कि प्रकरण में वर्णित भूमि खातेदार दीपा पिता चेना भील को 23.01.1989 को आवंटन हुई थी। जिसका नामान्तरकरण संख्या 215 से जमाबन्दी में दर्ज हुआ। नामान्तरण फर्द पर नक्शा ट्रेस कब्जा सुपुर्दगी इत्यादि दस्तावेज सलंग्न नहीं है। उपरोक्त भूमि खातेदार को मूल खसरा संख्या 324 में से 5.00 बीघा आवंटन हुई थी। जिसका वक्त सेग्रीगेशन (DILRMP) नवीन खसरा नम्बर 1552/324 दर्ज हुआ। वक्त आवंटन से ही खोतदार ने मौके पर पत्थर की कोट बना रखी है। जो मौके पर डामर सडक से सटमा है। जबकि राजस्व नक्शे में खातेदार की तरमीम 10 से 15 मीटर दूर की हुई है। जो कब्जे अनुसार सही नहीं है। खातेदार दीपा पिता वेना भील ने अपने हिस्से कब्जे में से 0.3237 हैक्टेयर भूमि प्रार्थीया छोटा मीना पुत्री नारायण मीना जाति मीना निवासी अभयपुरा तहसील रामगढ़ पचवारा को विक्रय कर दी, जिससे प्रार्थीया का खसरा संख्या 1824/1552 रकबा 0.3237 हैक्टेयर तथा दीपा पिता चेना भील खसरा संख्या 1825/1552 रकबा 0.4857 हैक्टेयर राजस्व रिकार्ड में दर्ज है। प्रार्थीया ने अपने हिस्से एवं कब्जे अनुसार मौके पर तारबन्दी कर रखी है, एवं काश्त कर रही है। मौके की जांच कर कब्जे अनुसार राजस्व नक्शे में तरमीम हेतु मय मानचित्र मौका रिपोर्ट साथ सलंग्न है। तहसीलदार द्वारा अपनी रिपोर्ट के साथ रिपोर्ट पटवारी हल्ला विजनवास मय मौका पर्चा प्रस्तुत किए गए।

अधिवक्ता प्रार्थी द्वारा बहस का निवेदन किया। अधिवक्ता उभय पक्षकारान एवं राजपैरोकार की बहस सुनी गई। अधिवक्ता उभय पक्षकारान द्वारा दौराने बहस निवेदन किया कि तहसीलदार घासा द्वारा प्रस्तुत प्रस्तावित नक्शा ट्रेस अनुसार तरमीम शुद्धि की जाती है तो उभय पक्षो को कोई आपत्ति नही है।

हमने पत्रावली का अवलोकन किया। दस्तावेजात का अध्ययन किया। तहसीलदार घासा द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट का अध्ययन किया। हम इस निष्कर्ष पर पहुंचे है कि ग्राम विकरणी पटवार हल्का विजनवास तहसील घासा की नकल जमाबन्दी सम्वत् 2077–80 के खाता संख्या 256 पर दर्ज आराजी नम्बर 1824/1552 रकबा 0.3237 हेक्टेयर भूमि प्रार्थीया के नाम दर्ज है। इसी प्रकार खाता संख्या 380 पर दर्ज आराजी नम्बर 1825/1552 रकबा 0.4857 हेक्टेयर भूमि विपक्षी सं. 3 के नाम पर दर्ज है। उपरोक्त आराजीयात की तरमीम मौके अनुसार नहीं होकर भिन्न हैं जिसे तहसीलदार घासा द्वारा भी अपनी रिपोर्ट में स्वीकार किया गया तथा प्रार्थीया एवं विपक्षी संख्या 3 के अधिवक्ता द्वारा भी उक्त तथ्य को स्वीकार कर रहे है कि मौके अनुसार तरमीम नहीं होकर भिन्न तरमीम हैं। उक्त आराजीयात खातेदारों को आवंटन से दर्ज हुई थी जिसका नक्शा ट्रेस नामान्तरकरण संलग्न नहीं [illegible] पाया है। तहसीलदार घासा की रिपोर्ट अनुसार आवंटन से ही खातेदार [illegible] पर पत्थर की कोट बना रखी है। तहसीलदार घासा द्वारा मौके एवं जमा[illegible] में दर्ज रकबे अनुसार प्रस्तावित नक्शा ट्रेस भी प्रस्तुत किया है। मौके एवं [illegible] नक्शे में तरमीम [illegible] होने से प्रस्तावित नक्शे अनुसार तरमीम शुद्धि किया जाना न्यायोचित पाया जाता है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Ramesh Sirvi Punadia
Date: 2025.01.31 12:48:50 IST
Reason: Self Attested

उपरोक्त विवेचन के आधार पर प्रार्थीया का प्रार्थना पत्र न्यायहित में स्वीकार योग्य पाया जाता हैं।

—: आदेश :—

परिणामस्वरूप प्रार्थीया का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 131, 133 भू. राजस्व अधिनियम का स्वीकार किया जाता है कि ग्राम विकरणी पटवार हल्का विजनवास तहसील घासा की नकल जमाबन्दी सम्वत् 2077—80 के खाता संख्या 256 पर दर्ज आराजी नम्बर 1824/1552 रकबा 0.3237 हेक्टेयर भूमि एवं खाता संख्या 380 पर दर्ज आराजी नम्बर 1825/1552 रकबा 0.4857 हेक्टेयर भूमि की तरमीम तहसीलदार घासा से प्रस्तावित नक्शा ट्रेस अनुसार किये जाने के आदेश दिये जाते हैं। तहसीलदार घासा द्वारा प्रस्तावित नक्शा ट्रेस आदेश का अभिन्न अंग रहेगा। प्रस्तावित नक्शें अनुसार तरमीम किये जाने हेतु तहसीलदार घासा को लिखा जावें। पत्रावली फैसल सुमार होकर नम्बर से कम हो।

निर्णय खुले न्यायायलय सुनाया गया।

(रमेश सीरवी पुनाडिया R.A.S.)
उपखण्ड अधिकारी
मावली

Signature Not Verified

Digitally signed by Ramesh Sirvi Punadia
Date: 2025.01.31 12:48:50 IST
Reason: SelfAttested